LOK SABHA

Saturday June 25, 1977/Asadha 4, 1899 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(1) Notification No. 95-Customs published in Gazette of India dated the 25th June, 1977. together with an explanatory Memorandum.

[*Placed in Library. See* No. LT-541/77].

(2) Notification No. 96-Customs and 97-Customs published in Gazette of India dated the 25th June, 1977 together with an explanatory Memorandum. [*Placed in Library* No. LT-541/77].

YOGA UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER : Mr. Raj Narain may continue his speech. The time allotted was 1 hour and it has already taken 2 hours and 40 minutes. You may kindly finish your speech now.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : श्रीमन आप जितना समय मुझे देंगे, उसी के अन्दर मैं समाप्त कर दूंगा। (व्यवधान) सपला तो बड़ा है, मगर अब उस को क्या छेड़ें। जो प्रश्न सम्मानित सदस्यों ने इस सदन में उठायें हैं, उन्हीं तक मैं अपने को सीमित रखूंगा, उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अधिक समय लग जायेगा।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Speaker, Sir, we can close the debate now.

SHRI M. V. KRISHNAPPA (Chikballapur) : Let them take Brahmachari also along with Ashram.

श्री राज नारायण : श्रीमन कल सदन के एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को बदनाम करने के लिये रजिस्टर में जाली लिख दिया गया। इसलिये मैंने सोचा कि यह बात किसी से छिपी न रहे। मैं रजिस्टर यहां बाकायदा लाया हूं। रजिस्टर पर कमिश्नर के दस्तखत हैं, मैजिस्ट्रेट के दस्तखत हैं और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पत्नीवार दस्तखत हैं। कानून के अनुसार यह रजिस्टर बनाया गया है —

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सीरमपुर) : वह ब्रह्मचारी है या नहीं यह बता दें।

श्री राज नारायण : * * *

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I have been hearing him yesterday. This is too much for us. We refuse to hear one word more from him.

SHRI J. RAMESHWARA RAO (Mahboobnagar) : This innuendo cannot be permitted.

MR. SPEAKER : I have not understood it.

***Expunged as ordered by the Chair.

SHRI VASANT SATHE : Even a child can understand it.

SHRI J. RAMESHWARA RAO : I cannot explain it here in this House. I can explain it to you in your room. This innuendo cannot be permitted to go unchallenged. It has got to be expunged.

SHRI VASANT SATHE : Unless he apologises, we will not hear one word. We will walk out.

MR. SPEAKER : You explain it to me in my room. For expunging also, I will have to study it.

SHRI SONU SINGH PATIL (Erandol) : It may be expunged.

SHRI J. RAMESHWARA RAO : You ask the Minister for Parliamentary Affairs. He will explain it to you and he will agree with me.

MR. SPEAKER : Even a Janata Party Member says it must be expunged.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Sir, you can do as you were pleased to do yesterday. If there is a remark to which serious objection has been taken by the other side, it is always your privilege to look into the record and if in your wisdom you find it is objectionable, you have the right to expunge it.

MR. SPEAKER: An hon. Member from your party also says it must be expunged.

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : Even if the members on the other side feel annoyed they should also observe some restraint and not say, "We shall not allow him to proceed."

SHRI J. RAMESHWARA RAO : I did not say it; I only made a humble submission.

MR. SPEAKER : Shri Sathe said it. Last time I did it and in the same way I shall do it. I have not understood its implication. I will study it. I will expunge it if it is objectionable. Both sides say it must be expunged. I am glad to see that the other side agrees. I will appeal to Shri Raj Narian to complete his speech. I will look into this. Shri Rameshwara Rao also can meet me in my chamber.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): If both sides agree, you can expunge it here and now.

MR. SPEAKER : Then it has to be repeated again and explained to me here. I do not want that to be repeated.

श्री राज नारायण : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं आप से। आन ए प्वाइंट आफ इनफर्मेशन । अगर कोई सम्मानित सदस्य मुझे से प्रश्न करता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वास्तव में ब्रह्मचारी है या नहीं तो क्या मैं उसका यह उत्तर नहीं दे सकता कि मैं उसके बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने उससे योग नहीं सीखा। जिसने उससे योग सीखा है उससे इस प्रश्न को पूछो।

SHRI J. RAMESHWARA RAO : You may kindly expunge it now. What is the use of going on like this ? He is again repeating it in different language

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : I would not like this to go on the record.

श्री राज नारायण : मान्यवर, मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या मैं यह कह सकता हूं कि नहीं ? क्या यह असंसदीय है ? इस सदन से कोई चीज़ एक्सपंज नहीं की जा सकती जो असंसदीय न हो। मैं इस तरह की चीजों को वर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं मैं अब इस तरह की चीजों को चलने देने के लिये तैयार नहीं हूं। एक मर्तबा हो गया, कल, परसों मैंने देख लिया।

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर सदन का कोई माननीय सदस्य मुझ से पूछता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या वास्तव में ब्रह्मचारी है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि नहीं मैंने उससे शिक्षा नहीं ली है, जिसको उसने योग की साधना बतायी हो उससे जा कर पूछो ?

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : (बम्बई उत्तर मध्य) . योग सीखने का ब्रह्मचारी से क्या संबंध आता है ?

श्री राज नारायण : योग का वह पंडित है आखिर यह प्रश्न हम से क्यों पूछा जाता है ?

SHRI J. RAMESHWARA RAO : Mr. Speaker, Sir, You cannot allow him to go on like this.

MR. SPEAKER : I will look into the question of expunging. How can I do it now ? All the power the Speaker has is to expunge it. After all, we want to continue the business of the House. We do not want to insult anybody. So, before it goes to the press, I will see whether I can expunge it or not.

श्री डी० एन० तिवारी : (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, हिन्दी के हों या अंग्रेजी के, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका डिफ़रेंट इंटरप्रीटेशन हो सकता है, इन्सीन्यूएशन हो सकता है। हम लोगों को चाहिये कि ऐसे शब्द का उच्चारण न करें जिस का गलत मतलब लगाया जा सकता हो। इसलिये मैं राज नारायण जी से कहूंगा कि यह शोभनीय नहीं होगा। ऐसे शब्द न बोलें जिसका अर्थ दूसरा लगाया जा सकता हो।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): When such speeches are made or such bad references are made, I will request you as Speaker to immediately expunge them so that the press may not get on with it. There are Mr. Ravi and others who will not keep quiet so that the Minister will be irritated while speaking.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : The rules are very clearly laid down that if any Member or Minister is making or indulging or creating a bad taste by using such words in the debate, they should not only be expunged, but the Member or the Minister should also be warned. The Speaker can do everything in his right.

MR. SPEAKER : What Mr. Tiwary said is right and what the other Hon. Member is saying is also all right. any interpretation can be given on this and I will certainly expunge it as I said. Now, I would appeal to Raj Narainji to go on with this Bill. Let him not insult anybody. You have a right to discuss the charges on Brahmachari or anybody. But let us not insult anybody. It is not good. I would appeal to Raj Narainji to kindly complete it.

श्री राज नारायण : श्रीमन, मैं बहुत ही अदब के साथ और विनम्रता के साथ आप से विनम्र निवेदन करूंगा कि संसदीय प्रथा की कुछ डीसेंसी और डेकोरम, सुनीति और सुशोभा है। जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार ही भगवान की मूरत सब को दिखाई देती है। अगर किसी की भावना दूषित है तो अच्छे शब्द क अर्थ भी वह दूषित समझ सकता है। यदि किसी की भावना अच्छी है तो वह खराब शब्द को भी अच्छा समझ सकता है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी परिपेक्ष्य में सारी स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिये। मैं पार्लियामेंटसी प्रोसीजर के विरुद्ध कभी जाने वाला नहीं हूं मैं किसी को भी वह अधिकार देने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो असंसदीय न हो वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। पहले यह डिक्लेयर करना होगा कि यह असंसदीय है। असंसदीय हो, हटा दिया जाये, असंसदीय हो तो न हटाया जाये। हाथ की झेंप इस सदन में हल्ला कर के कोई मिटाना चाहे तो वह नहीं मिटेगी।

कल माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि मालूम होता है कि रजिस्टर में नाम इधर उधर लिख दिया गया है। इसलिये मैं रजिस्टर को यहां पर लाया हूं, जिस सम्मानित सदस्य को देखना हो वह यहां आकर देख सकता है। अगर आप आज्ञा दे अध्यक्ष महोदय : तो वह मैं आप की टेबल पर रख दूं आप देख ले यह पूरा रजिस्टर है।

दूसरी बात यहां पर पोलिटिक्स की कही गई थी, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पोलिटिक्स कोई नहीं है।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल हमारे विधेयक के समर्थन में विपक्ष से भी

[श्री राज नारायण]

जितने सदस्य बोले, करीब करीब सभी ने समर्थन किया और इस बात के लिय मैंने उन को दाद भी दी है। सी० पी० आई० ने जो कुछ कहा, बहुत सुन्दर कहा और मैं उन को एक बात की और दाद देना चाहता हूं।

जब मैं बोल रहा हूं तो सी० पी० आई० बातें कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय यह भी पार्लियामैंटरी डिकोरम नहीं है।

MR. SPEAKER : The Minister is inviting the attention of Mrs. Parvathi Krishnan also.

श्री राज नारायण : मैं इस बात के लिए इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो जनता पार्टी को चेतावनी दी, वह बहुत ही सही दी है। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है, तो जनता पार्टी तनिक भी भ्रष्टाचार को बर्दाशत न करे। मैंने कल आश्वासन दे दिया था कि जनता पार्टी किसी भी हालत में, किसी स्तर पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाशत करने के लिये तैयार नहीं है: कोई भी केस उन के पास हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, वह ला सकते हैं चैयर के थ्रू ला सकते हैं और उस को बराबर देखने के लिये हम तैयार हैं, क्योंकि हम ने सिद्धान्त बनाया है कि कथनी, करनी और लेखनी---जो कहो वह करो, जो करो वही लिखो। यह नहीं कि कहो कुछ, और करो कुछ और लिखो कुछ, इस सिद्धान्त को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

इसीलिये मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को बदनाम करने की मेरी तनिक भी मंशा नहीं थी और न है। अगर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने अन्दर साध्य संशोधन कर लें तो वह किसी काम के लिये उपयोगी भी हो सकते हैं, उनका उपयोग जो करना चाहें कर सकते हैं।

जो अतिथि का रजिस्टर है, वह मेरे पास है, उसमें देखा जा सकता है कि कौन अतिथि आये, कैसे आये और किसके साथ आये, कैसे रहे और कितने दिन रहे। यह सारी बातें देख कर अपने आप जो घटना है वह लोगों को प्रत्यक्ष पता लग जायेगी कि वहां पर योग हो रहा था या भोग हो रहा था।

इस रजिस्टर को सराय एक्ट, 1867 के सेक्शन 4 के अनुसार बनाया गया था। इस के प्रत्येक पृष्ठ पर मैजिस्ट्रेट की सील है और इसके प्रथम पृष्ठ पर डेपुटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट भी है। जो गोलियां उनकी मेज़ की दराज़ से निकली हैं, उस कमरे पर धीरेन्द्र जी का ताला था, किसी दूसरे का ताला नहीं था। इसलिये किसी को यह मुगालता नहीं होना चाहिये कि किसी दूसरे ने ताला बन्द किया था। वह कमरा मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला गया, एकाएक किसी ने जाकर खोल दिया हो, ऐसी बात नहीं थी। जितने भी फ्रीकाशन्ज़ और केअर ली जा सकती थी, उतनी ली गई ताकि कोई यह न समझे कि बदले की भावना से, या उनको तंग करने की भावना से ऐसा किया जा रहा है .....

एक माननीय सदस्य : उन के पास लाइसेंस भी था या नहीं ?

श्री राज नारायण : लाइसेंस नहीं था। जो भी बहस यहां हो रही है, उस सारी कार्यवाही का एक नोट तैयार करके हम गृह-मंत्री को दे देंगे और वे उसके मुताबिक उचित जांच की कार्यवाही कर सकते हैं, केस चल सकता है तो तत्काल केस चलायें और उनको जेल में ले जायें।

मैं कह रहा था कि कमरा मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला गया, जिस समय उस कमरे

की वस्तुओं की इन्वेन्ट्री बनाई जा रही थी, वह गोली उनकी मेज की दराज में मिली ।

एक जिक्र यहां यशपाल कपूर के बारे में आया कि केन्द्रीय योगानुसन्धान संस्था की गवर्निंग-बाडी पर उनको मेम्बर पार्लियामेंट ने नियुक्त किया था । इस सदन के एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि वे पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किये गये थ । मैंने इसकी जांच की और पाया—हालांकि यह आवश्यक है कि पार्लियामेन्टरी अफेअर्स मंत्री की राय से नामिनेशन भेजा जाय, परन्तु इनके केस में ऐसा नहीं किया गया, इस प्रकार उनकी मेम्बरी भी अवैध थी । पाालयामेन्ट ने किसी को नहीं भेजा था और पार्लियामेन्ट अफेअर्स की मिनिस्ट्री ने भी उनका नाम नहीं भेजा था, वह सीधे जाकर गवर्निंग-बाडी में बैठ गये और बैठ कर वहां क्या-क्या गुल खिले—अब मैं उसको कहूंगा तो फिर सदन में हल्ला हो जायगा, इसलिये मैं कुछ कहना पसन्द नहीं करता हूं । ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सोचें कि किसी वस्तुस्थिति को हल्ले के डर से छिपा दूंगा, मैं वस्तुस्थिति को विरोध या हल्ले के डर से छिपाने वाला नहीं हूं । मैं अपने जीवन में बहुत विरोध देख चुका हूं । सन् 1934 से विरोधी राजनीति करते-करते 1977 आ गया । कांग्रेस के हाथ में मुल्क की आजादी देकर मैं बाहर रहा ।

अध्यादेश 1977 के अनुसार केन्द्रीय योगानुसंधान संस्था तथा विश्वायतन योगाश्रम का परिचालन-भार केन्द्र सरकार ने 25–5 1977 को ले लिया । इस अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को दोनों संस्थाओं की सम्पत्ति को प्रशासन को हस्तान्तरित करना होगा । इन दोनों संस्थाओं को सम्पत्ति का ब्यौरा (इन्वेन्ट्री) बनाया जा रहा है । इसमें बहुत समय लगाना पड़ रहा है क्योंकि प्रत्येक फाइल की अच्छी तरह से छान-बीन करके तब यह काम किया जा रहा है । इन दोनों संस्थाओं के परिचालन क्रम को सुगम बनाया जा रहा है । योग शिक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे रोगियों के साथ तथा साधकों के साथ अच्छा व्यवहार करें । अब तक जो व्यवहार चलता था उसको बिलकुल रोक दिया गया है और अब तक जो प्रथायें चलती थीं उन प्रथाओं को भी भंग कर दिया गया है । यह कह दिया गया है कि उन प्रथाओं को अब किसी भी तरह से बरदाश्त नहीं किया जायगा । चिकित्सालय में रोगियों की संख्या 25–5–1977 को 23 थी, वह 25–6–77 को बढ़ कर 27 हो गई है । जिस दिन से इसका टेक-ओवर हुआ है, उस दिन से जनता की आस्था बढ़ गई है और जनता की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है । अपने रोग के निराकरण के लिये अब लोग आश्रम में आने लगे हैं ।

गवेषणा कार्य को वैज्ञानिक ढंग से परिचालन करने के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

इन संस्थाओं में पूर्ववर्ती परिचालकों ने कई समस्यायें बना रखी हैं । उन समस्याओं के समाधान में अत्यधिक समय लग जायगा । परन्तु आशा है कि शीघ्र ही स्थिति पर काबू पाकर तरक्की की जायगी ।

यह सारी स्थिति हमने सदन के सामने रख दी है क्योंकि हमारा बराबर यह सिद्धान्त रहा है कि जनता से सम्बन्धित जो प्रश्न हो, उसको खुल कर और खोलकर जनता के सामने रखें । इसलिए हम ने जितनी भी आपत्तियां उठाई गई थीं, उन सब का करीब करीब जवाब दे दिया है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जवाब न दे दिया हो । इसलिए अब इस पर और ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं हैं ।

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to provide for the taking over of the management of the undertakings of the two Yoga Societies for a limited period in the public interest and in order to secure the proper manage-

[Mr. Speaker]

ment thereof and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Now, we take up clause by clause consideration. There is no amendment to clause 2. I put it to the House. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. SPEAKER : Now, we take up clause 3. There are two amendments, one is by Shri Rajgopal Naidu and other is by Shri Kapur. Mr. Rajgopal Naidu, are you moving the amendment ?

SHRI P. RAJGOPAL NAIDU (Chittoor) : No. I am not pressing.

MR. SPEAKER : Shri L. L. Kapur is not here. So, I put clauses 3 to 16 together. The question is :

"That clauses 3 to 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 to 16 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री राज नारायण : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पास किया जाएं" ।

MR. SPEAKER : The question is : "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

श्री राज नारायण : मैं आपके द्वारा विरोध पक्ष को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे तर्कों से वे इतने सन्तुष्ट हो गये कि किसी बात पर बोलने की उन्होंने हिम्मत नहीं की ।

11.29 hours

*DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

MINISTRY OF COMMERCE AND MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

MR. SPEAKER : Now, we take up the Demands for Grants under the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : We cooperated with the Government in having the Order of the Demands changed. But I am sorry to say that the Report of the Ministry of Commerce is made available just now and the report of the Ministry of Civil Supplies and Cooperation has not been made available till now. These are very important documents for us to go through before we speak. I request you that this should be looked into. The second point is that you were gracious enough yesterday to give us time to move cut motions.

Now, the normal procedure is that, you ask us to indicate the serial numbers of the cut motions that we would like to move. We are not at all able to do that because the printed lists of cut motions given by us have not been circulated. So, you kindly give us permission to move them formally on Monday.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Sir I appreciate the observations made by the hon. Member. We are highly appreciative of the cooperation that the opposition extended to us in accepting the proposal that we made for the change in the order of business. At that time, our intention was to see that the reports reach the hon. Members as early as possible. In spite of the best efforts that we made, there has been some delay. We are deeply sorry for this delay. We hope to see that such delays do not occur in future. We hope that the House will bear with us and excuse us and take up the discussion on these Demands.

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 15 and 16 relating to the Ministry of Commerce and Demand Nos. 13 and 14 relating to the Ministry of Civil Supplies and Cooperation for which 8 hours have been allotted.

Motions moved :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 15 and 16 relating to the Ministry of Commerce."

---

*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.